न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 45/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.तुलसी राम पुत्र श्री पोकरराम जी जाति मेगवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर। 02.मीरा देवी पत्नी तुलसी राम जाति मेधवाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर 03.निम्बुराम पुत्र राणाराम जाति मेगवाल निवासी भीमसागर सामराऊ तहसील ओसिया जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर।		01.रामस्वरूप गोधा पुत्र श्री कालुराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल निवासी रामनगर संगरिया फांटा तहसील व जिला जोधपुर। 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री ऊर्जाराम पटेल व प्रहलादसिह उपस्थितं ।

02.अप्रार्थीगण की ओर से हनुमान प्रजापत उपस्थित।

आदेश दिनांक :– 24/7/2024

प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झवर के खसरा नम्बर 35, 35/1, 35/2 आई हुई हैं एव अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 33 कृषि भूमि आई हुई है। एव खसरा नम्बर 29 जो गैर मुमकीन रास्ता है। वर्तमान मे ग्राम नारनाडी तहसील झवर के खसरा नम्बर 29 से डामर सडक निकलती है एव इसी के चिपते अप्रार्थीगण सख्या 01 की कृषि भूमि जो खसरा नम्बर 33 है उसमे से होकर खसरा नम्बर 35 मे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे कृषि हेतु आते जाते है। वर्तमान मे प्रार्थीगण की कृषि भूमि म आने जाने हेतु कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नही है एव प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 33 से होकर आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है इसलिए प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 33 की कृषि भूमि से 30 फुट चोडाई का रास्ता मजूंर करवाने चाहते है वर्तमान मे प्रार्थीगण के पास उक्त विकल्प के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है इसलिये प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 29 जो कि गैर मुमकीन सडक है से अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 33 से होकर ही रास्ता दिया जाना उचित है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी अपनी कृषि भूमि तक आवागमन एव आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है एव रास्ते के बिना काश्त करना असभव है क्योकि काश्तकार काश्त हेतु टेक्टर व अन्य संसाधनो को लाना व ले जाना पडता है जिसके लिए रास्ता होना आवश्यक है वर्तमान मे अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण के खेतो मे आने जाने वाले रास्ते पर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है इन सभी परिस्थितियो को देखते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 33 मे से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना आवश्यक है एव न्यायहित मे है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तामाम परिस्थितियों मे प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किया गया अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापत द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शमिल पत्रावली किया गया प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर तहसीलदार झवंर से मौका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई।

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार झवर के पत्र कंमाक/भू.अ/2024/523 दिनाक 07.03.2024 द्वारा प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट से प्रार्थीगण के पक्ष मे उक्त खसरे से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है तहसीलदार झवर के रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे जहॉ से रास्ते की माग की गई वहा ग्रेवल सडक है वहा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना की अनुशषा की गई हैं

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। मौका फर्द दिनांक 15.11.2022 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 35,35/1,35/2 मे जाने के लिए खसरा संख्या 33 मे से 20 फुट रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 15.11.2022 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 33 ग्राम नारनाडी के रूप मे दर्शित किया है उसमे से 20 फुट रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज कर मौके पर कायम करे एवं प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो तहसीलदार झंवर गणना कर प्रार्थीगण को अवगत करावे एव प्रार्थीगण उक्त राशि की डी,डी बनाकर तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी की जावे। एवम् मौका फर्द दिनांक 15.11.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी